न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 294/17 (RCMS No. 2017/00313) (75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

भूरया पुत्र देव्या जाति मीना निवासी ग्राम ठकडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. हनुमान पुत्र गंगा विशन जाति मीणा निवासी ग्राम ठेकडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला स0 माधोपुर

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाडा निर्णय दिनांक 30.03.2011

उपस्थितिः—

1. श्री पुरूषोत्तम गोयल वकील अपीलान्ट
2. श्री अब्दुल बहाव वकील रैस्पो0

निर्णय **दिनांकः—08.01.2018**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा के निर्णय दिनांक 30.03.2011 के विरूद्व पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी/रैस्पो0 सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम ठेकरा तहसील चौथ का बरवाडा में प्रार्थी के खाता सं0 39 किता 20 रकवा 67 बीघा में प्रार्थी/रैस्पो0 सं0 1 का 2/3 हिस्सा दर्ज था। जमाबन्दी सं0 2041–2044 के खाता सं0 139 पर हनुमान पुत्र गंगाविशन का हिस्सा 1/2 तथा भूरया पुत्र देव्या हिस्सा 1/2 सहवन से दर्ज हो गया है जिसे शुद्धि पत्र दिनांक 18.06.92 एवं आदेश अतिरिक्त तहसीलदार चौथ का बरवाडा के आदेश दिनांक 20.07.92 के द्वारा प्रार्थी का हिस्सा 2/3 अंकन किया गया। बन्दोवस्त विभाग द्वारा गत ख0 नं0 के कुल 36 खसरा नम्बर रकवा 16.59 हैक्टेयर बनाये तथा जमाबन्दी सं0 2062 से 2065 में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 तथा भूरया पुत्र देव्या हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी का हिस्सा 2/3 दर्ज होना चाहिये था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हिस्सा शुद्ध किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी हनुमान पुत्र गंगाविशन हिस्सा 2/3 एवं भूरया पुत्र देव्या हिस्सा 1/3 दर्ज करने का निर्णय पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध भूरया ने यह अपील पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। जबकि अपीलान्ट विवादित आराजी का सह खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलान्ट का पिता एवं रैस्पो0 सं0 1 दोनों सगे भाई थे, जो गंगाबिशन की औलाद हैं। अपीलान्ट के पिता वचपन में ही छोड़कर मर चुके थे। गंगाबिशन के दो पुत्र देव्या व हनुमान थे। देव्या फौत हो गये उनका अपीलान्ट भूरया है। विवादित आराजी गंगाविशन की आराजी थी जिसमें अपीलान्ट व रैस्पो0 सं0 1 का 1/2–1/2 भाग है। इसी प्रकार कब्जा चला आ रहा है। रैस्पो0 ने तहसीलदार से मिलकर उक्त 67 बीघा भूमि में 1/2 हिस्से की जगह 2/3 हिस्सा अपीलान्ट की जानकारी में लाये बिना दर्ज करवा लिया है। विवादित आराजी किता 20 रकवा 67 बीघा वॉके ग्राम ठेकडा तहसील चौथ का बरवाडा में है जो गंगाविशन के मरने के बाद अपीलान्ट एवं रैस्पो0 सं0 1 का बराबर का अधिकार है। सं0 2041 से 2043 में उक्त जमीनों में आधा आधा हिस्सा दर्ज हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया। रैस्पो0 ने गुपचुप तरीके से अपना 2/3 हिस्सा दर्ज कराने के आदेश प्राप्त करवा लिये है। उनका तर्क है कि नामा0 सं0 170 में रैस्पो0 सं0 1 के 2/3 भाग का गलत इन्द्राज होने के कारण नया खाता सं0 181 में रैस्पो0 सं0 1 एवं अपीलान्ट का आधा आधा हिस्सा जमाबन्दी में इन्द्राज किया गया लेकिन रैस्पो0 ने प्रार्थी को जानकारी में लाये बिना ही दिनांक 30.03.2011 को अपने हक में 2/3 हिस्सा दर्ज करा लिया। उक्त आदेश की जानकारी होने पर अपील पेश की है। गंगाविशन की आराजी में दोनों भाईयों को आधा आधा हिस्सा कानूनन प्राप्त होता है। परन्तु रैस्पो0 ने फर्जी तरीके से गलत इन्द्राज कराने का आदेश प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकतरफा दिया गया है जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 सं0 1 का तर्क है कि अपीलान्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अपीलान्ट को पूर्व से ही जानकारी थी परन्तु जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। उनका तर्क है

Web Copy - Not Official

कि अपीलान्ट ने धारा 96 सीपीसी के तहत अपील पेश करने की इजाजत नही ली है। अतः अपील इसी विनाय पर खारिज की जावे। उनका यह भी तर्क है कि गंगाविशन के तीन पुत्र देव्या, दुर्गालाल व हनुमान थे। इनमें से दुर्गालाल लाऔलाद फौत हो गया। उसके सारे किया कर्म रैस्पो0 ने किये किये थे। उसकी आराजी रैस्पो0 के हक में दर्ज हो गयी। जिसमें अपीलान्ट का कोई हिस्सा नही है। रैस्पो0 का 2/3 हिस्सा रहा तथा अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा बनता है। बन्दोवस्त से पूर्व 2/3 व 1/3 हिस्सा रहा है। बन्दोवस्त में पुनः 1/2 व 1/2 हिस्सा कर दिया था, जो दुरूस्त कराया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय ने दुरूस्ती की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था। इसलिये जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद मानी जाकर डिले कण्डोन की जाती है तथा अपीलान्ट को अपील पेश करने की इजाजत दी जाती है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सं0 2062–2065 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी में हनुमान पुत्र गंगाविशन हि0 1/2 एवं भूरया पुत्र देव्या हि0 1/2 खातेदार काश्तकार हैं। रैस्पो0 हनुमान ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर हिस्सा दुरूस्ती चाही गई थी। जिसमें हनुमान 2/3 हिस्सा व भूरया 1/3 हिस्सा किये जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट जो एक सह खातेदार है जिसका हिस्सा दुरूस्त किया जा रहा है उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी लिपिकीय त्रुटि या ऐसी त्रुटियों जिसके लिये हितबद्ध पक्षकार सहमत हों, दुरूस्ती का आदेश पारित कर सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने एक हितवद्ध पक्षकार को सुने बिना ही निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.03.2011 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.02.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

Web Copy - Not Official